बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं0 सं0– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 5651 (S) पटना, दिनांक :– 10/8/26

अधिसूचना

श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के उक्त पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के मामले में दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–89/2006 में दिनांक–09.12.2006 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2293(एस) दिनांक–23.02.2007 द्वारा उक्त तिथि से निलंबित किया गया। श्री सिन्हा हिरासत से मुक्त होने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक–25.06.2007 को समर्पित योगदान को अधिसूचना सं0–9560 (एस) दिनांक–14.08.2007 के द्वारा दिनांक–25.06.2007 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया। तदोपरांत उक्त मामले में अधिसूचना सं0–9569 (एस) दिनांक–14.08.2007 के द्वारा अगले आदेश तक निलंबित किया गया। इसके साथ हीं उक्त मामले में इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13746(एस) अनु0 दिनांक–29.11.2007 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2849 अनु0 दिनांक–28.07.2008 द्वारा उक्त गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक–13931 दिनांक–27.10.2008 के द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नही पाते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–10910(एस) दिनांक–26.07.2010 द्वारा श्री सिन्हा को तत्कालिक प्रभाव से सेवामुक्त किया गया।

3. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-11703/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–01.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना सं0–5046(एस) दिनांक–27.05.2019 द्वारा दंडादेश अधिसूचना सं0–10910 (एस) दिनांक– 26.07.2010 एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना संख्या–7320 दिनांक–27.06.2011 को निरस्त करने, श्री सिन्हा को विभाग में योगदान समर्पित करने, नये सिरे से आनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने तथा अनुवर्ती लाभ Fresh inquiry के उपरांत फलाफल के अनुरूप नियमानुसार ली जा सकेगी का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त पूर्व से गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्यो के आधार पर संकल्प ज्ञापांक–6800(एस) दिनांक–25.07.2019 के द्वारा नए सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

4. श्री सिन्हा के विरूद्ध नए सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–564 अनु० दिनांक–03.11.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–4479 (एस) अनु0 दिनांक–12.09.2024 के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति अनु0 सहित संलग्न करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में लिखित अभ्यावेदन 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु श्री सिन्हा को निदेशित किया गया। परंतु निर्धारित अवधि से अधीक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री सिन्हा के द्वारा लिखित अभ्यावेदन विभाग को समर्पित नही किया गया। तदोपरांत आलोच्य मामले के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

(i) श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत स्थायी रूप से 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती

(ii) श्री सिन्हा के कारावास में बितायी गयी अवधि से उद्भूत निलंबन अवधि (दिनांक–09.12.2006 से दिनांक–24.06.2007) का विनियमन नियमानुसार उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–89/2006 दिनांक–07.12.2006 के निष्पादन के उपरान्त उसके फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

(iii) इनके निलंबन अवधि दिनांक–14.08.2007 से दिनांक–26.05.2019 तक (अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु किये गये निलंबन से लेकर सेवा से मुक्त रहने के अवधि तक) में जीवन निर्वाह भता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परंतु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में परिगणित की जायेगी।

5. उक्त लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1762 (एस) दिनांक–23.02.2026 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत "उनके पेंशन से स्थायी रूप से 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती" का दण्ड अधिसूचित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–2788 (एस) दिनांक–20.04.2026 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 (5) में अंतर्निहित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में लिए गए निर्णय के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन पत्र प्राप्ति के 60 (साठ) दिनो के अन्दर समर्पित करने हेतु श्री सिन्हा को निदेशित किया गया।

6. उक्त के आलोक में श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–28.04.2026 की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा के द्वारा अपने अभ्यावेदन में ऐसा कोई ठोस तथ्य एवं तर्क नहीं रखा गया है, जिसके आधार पर उन्हे निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन–भता दिया जा सके। चूकि प्रश्नगत मामले में श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0–1762 (एस) दिनांक–23.02.2026 के द्वारा उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत उनके पेंशन से स्थायी रूप से 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा श्री सिन्हा को निलंबित किया जाना उचित माना गया।

7. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री आशीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु समर्पित लिखित अभ्यावेदन दिनांक–28.04.2026 को अस्वीकृत करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) इनके निलंबन अवधि दिनांक–14.08.2007 से दिनांक–26.05.2019 तक (अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु किये गये निलंबन से लेकर सेवा से मुक्त रहने के अवधि तक) में जीवन निर्वाह भता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परंतु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में परिगणित की जायेगी।

उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष कार्य प्रमंडल, लखीसराय/उप सचिव (मुख्यालय)/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/ 6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री आशीष कुमार सिन्हा, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पता–रामपुर (रेलवे इन्टर कॉलेज मैदान के पश्चिम), पोस्ट–जमालपुर, जिला–मुंगेर, पिन कोड–811214, मोबाईल नं0–9771896145** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 5652(8) पटना, दिनांक :– 10/8/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10.8.26
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

10.08.26